बैंक ऑफ़ बड़ौदा **Bank of Baroda**

पू.उ.प्र.अं./40/एसएलबीसी/सितम्बर 2014/283 12.11.2014

<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) के सभी सदस्यों को पत्र</u>

महोदय,

विषय :- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2014 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त</u>

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2014 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 10.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(आर के अवस्थी)
उप महाप्रबन्धक
कृते संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन/Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स/Fax:0522-6677726, 6677732
ई-मेल/E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट/Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, (उ.प्र.) की जून' 2014 तिमाही की समीक्षा बैठक दिनांक 10.09.2014 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सभागार" बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. , प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन, श्री महेश कुमार गुप्ता आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (लघु उद्योग व निर्यात प्रोत्साहन) उ.प्र. शासन, मैडम सन्दीप कौर, आई.ए.एस., विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, श्री वी.सी. श्रीवास्तव, आई.ए.एस., प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/ वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक में सहभागिता की। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न हैं।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. , प्रमुख सचिव (कृषि), उ.प्र. शासन, श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

1. प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत -3000- नयी शाखाओं की स्थापना मद में बैंकों द्वारा अभी तक लगभग 76% उपलब्धि हासिल की गयी है। निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. ने दिनांक 26.08.2014 को एक समीक्षा बैठक के दौरान ऐसै बैंक जिनका गैप बचा है, को 15.09.2014 तक ऐक्शन प्लान तैयार करने एवं दिनांक 31.12.2014 से पहले इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्देशित किया है। यह शाखा विस्तार स्थानीय आवश्यकताओं व व्यवसायिक दृष्टिकोण को केन्द्रित करते हुए किया गया है। आप सहमत होंगे कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शाखा विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है। प्रदेश में हमारी इस उपलब्धि को सराहा भी गया है।

2. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत -2000- से कम आबादी वाले -76855- गांवों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु तैयार रोडमैप को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार Disaggregation Plan के रूप में -3- वर्षों में विभाजित कर, मार्च 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल आवंटित लक्ष्य -30515- के सापेक्ष -14782- गांवों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है जो आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष काफी कम है व आगामी अवधि में हमें और समग्र प्रयास करने होंगे। इस क्रम में भारत सरकार ने सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को "प्रधानमंत्री जन धन योजना" के रूप में 28.08.2014 से लागू किया है, जिसके अंतर्गत सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम का पूरा विवरण, एजेण्डा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रसंगवश, इस योजनान्तर्गत सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो मे SSAs व Urban Wards Allocation का काम पूरा हो चुका है, तथा इन सभी में बैंकिंग सेवाऐ प्रदान करने का जो काम किया जा रहा है, उसे समयबद्ध सारिणी के अनुसार पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है कि गत 5 सितम्बर 2014 को संयुक्त सचिव, वित मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगरा मे सम्पन्न बैंकर्स की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये गये है तथा एस.एल.बी.सी. द्वारा इन निर्देशो से आपको सूचित किया गया है।

3. वार्षिक ऋण योजना 2014-15 के अंतर्गत प्रदेश में आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष 21.19% उपलब्धि हासिल की गयी है जो पिछले वर्ष की समान अवधि से बेहतर रही है।

   नोडल विभागों व बैंकर्स से अनुरोध है कि त्रैमासिक आधार पर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संयुक्त प्रयास करें ताकि शत् प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किये जायें। जनपद स्तर पर भी DCC & DLRC बैठकों में वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार प्रारूपों के अनुसार की जाये, तभी यह एल.बी.एस. (LBS) पद्धति प्रभावी होगी।

4. बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार की विशेष योजनान्तर्गत बैंको द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 25,000 WCC जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसकी पूर्ति हेतु सभी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है ताकि सभी पात्र बुनकरो को इस महत्वपूर्ण योजना का फायदा मिल सके ।

5. यहाँ मौजूद सभी बैंकर्स की ओर से मै पुनः प्रदेश सरकार द्वारा आरसेटीज संस्थानों हेतु भूमि आवंटन, कृषि ऋण मार्टगेज हेतु स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा 10 लाख तक बढ़ाने एवं सरफेसी. एक्ट के अन्तर्गत बैंको द्वारा फाइल मामलो में नियमानुसार तेजी से कार्यवाही करने सम्बन्धित निर्णयों हेतु शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला: -

वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रकाश डालते हुये उन्होने इसमे और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न क्षेत्रों में वसूली भी इस समय एक बन्द प्रक्रिया के दौर में हैं। वित्तीय बाजार सुधार के दौर से गुजर रहा हैं यद्यपि वृद्धि में तुल्यन का रिस्क अभी भी परिलक्षित है। मुद्रा- स्फीति अपने निम्न स्तर पर हैं और इस समय अपने लक्ष्य से 2% नीचे हैं। यद्यपि, विशेषज्ञ, यू.एस. एवं यूरोपीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि को लेकर जिज्ञासु हैं।बहुत से बड़े विकासशील देश जिनमें BRICS भी शामिल हैं- उनमें विकास दर की वृद्धि पिछले कुछ वर्षो से कम हुई है और सकल वृद्धि दर वार्षिक 8% के औसत की तुलना मे 5.6% कम हुई है। यद्यपि वैश्विक परिदृश्य में

बेरोजगारी बढी है परंतु प्रथम तिमाही के परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्तमान में इसमें गिरावट की सम्भावना हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में इसके आर्थिक विकास के निम्न मुख्य बिन्दुओ पर प्रकाश डाला: -

- वर्तमान में हमारा देश भारत विश्व में निवेश करने की दृष्टि से सबसे महतवपूर्ण स्थल बन गया है क्योकि यहाँ के विभिन्न क्षेत्रो में निवेश करने हेतु FDI के कारण द्वार खुल गये है।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक GDP (क्रम शक्ति समानतता) का 6.4% शेयर धारक है जो वर्तमान में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
- व्यापार एवं विदेश अनुभाग में वृद्धि परिलक्षित हो रही हैं क्योंकि प्रथम तिमाही में निर्यात दर की वृद्धि दुगुने अंको में हो गयी है।
- भारत का विदेशी विनिमय रिजर्व जून 27, 2014 को समाप्त सप्ताह में बढ़ा है और विदेशी मुद्रा पूँजी US $ 288.81 मिलियन से बढकर US $ 851 मिलियन हो गयी हैं।
- सार यह हैं कि व्यापार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भारत सरकार ने जों कदम उठाये है उससे देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और इससे वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर भी देश को बल मिलेगा।

शाखा विस्तार कार्यक्रम एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और इसके उप क्षेत्रो पर प्रकाश डालते हुये उन्होने इस पर विस्तृत चर्चा की। उन्होने यह बताया कि गत 15.01.2013 को तत्कालीन माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार -3000- नयी बैंक शाखाएँ खुलनी थी। दिनांक 31.07.2014 तक प्रदेश में कुल -2307- नयी शाखाएँ खुल चुकी थी। अभी इसमें और प्रयास की आवश्यकता हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.01.2013 को सम्पन्न एस.एल.बी.सी. की विशेष बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार शाखा विस्तार कार्यक्रम की सघन समीक्षा शीर्ष स्तर पर माननीय मुख्य सचिव, उ.प्र.सरकार स्वयं कर रहे हैं। दिनांक 26.08.2014 को आयोजित उच्च सतरीय समीक्षा बैठक जिसका संयोजन विशेष सचिव और निदेशक, संस्थागत वित एवं सर्वहित निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, के दौरान बैंको को यह निर्देशित किया गया कि वे शाखा विस्तार हेतु दिनांक 15.09.2014 तक कार्य योजना बना लें एवं दिनांक 31.12.2014 तक उसे अवश्य पूरा कर लें। उन्होने सभी सम्बन्धित बैंको से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का अनुरोध दोहराया। साथ ही हम यह भी बताना आवश्यक समझते है कि सरकार नें यह दिशा निर्देश दिया है कि खुलने वाली सभी बैंक शाखाएँ ए.टी.एम. के साथ खुले जिससे उस बैंक के लिए व्यवसाय का अच्छा अवसर मिलेगा।

जून'2014 को प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.23% था जो मार्च'2014 के समग्र अनुपात से 0.61 % अधिक है। बैंकवार विश्लेषण से यह इंगित होता है कि कुछ बैंको के सीडी अनुपात मे अंतर हैं। सभी बैंक आने वाले समय में सी.डी.आर. में आवश्यक बढौतरी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास हैं। मै समझता हूँ कि एस.एल.बी.सी (उ.प्र.) द्वारा ऋण जमा अनुपात पर गठित उप- समिति उन अनछुए पहलूओं पर चर्चा कर कारणों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे जहाँ व्यवसाय की सम्भावना हो, जिससे बैंक व राज्य सरकार वांछित परिणाम पाने के लिए एक जुट हो सकें।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु प्रदेश के कुल अग्रिम का 52.46% भाग सभी वाणिज्यिक बैंको जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं – द्वारा प्राप्त किया गया है। साथ ही कृषि एवं कमजोर वर्गों हेतु अग्रिम क्रमशः 26.07% एवं 18.00% है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर 18% एवं 10% से बहुत ही अधिक हैं। बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय है क्योंकि इस प्रदेश में पाये जाने वाले जीव, वनस्पतियाँ एवं भौगोलिक विस्तार का अलग महत्व व लाभ हैं।

केन्द्र सरकार की वितीय समावेशन योजनान्तर्गत 2000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले गाँवों के लिए "स्वाभिमान" योजना की सफलता के पश्चात, 2000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों के लिए एक रोड़ मैप तैयार किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार ने वितीय समावेशन को विस्तृत रूप में मिशन मोड में लागू करने का दिशा निर्देश दिया हैं। इस योजना के तहत देश में सभी हाउस होल्डस का कम से कम -1- बैंक खाता प्रति परिवार हो जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करते हों और इसमें सभी एस.एस.ए. और वार्डस शामिल किये जायें ऐसे निर्देश हैं।

इस योजना "प्रधानमंत्री जन धन योजना" का शुभारम्भ दिनांक 28.08.2014 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था और पूरे देश में चरण बद्ध रूप से राष्ट्रीय एजेण्डे के रूप में वितीय समावेशन को प्रसारित किया जाना हैं। बैंकिंग बन्धुत्व के प्रतिवेदन एवं उत्तरदायित्व को देखते हुए योजना का प्रथम चरण दिनांक 26.01.2015 तक प्रभावी होगा और तदनुसार हम सब का एक महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्होने आहवाहन किया कि इस राष्ट्रीय निमित पर हम सब मिलकर कुछ अधिक प्रयास करें जिससे निर्धारित समयावधि के अन्दर हम दिए हुए लक्ष्यों को पूरा कर लें।

प्रदेश में पी.एम.जे.डी.वाई. योजना के लागू करने की जहाँ तक बात है, प्रदेश में सभी बैंको ने मिल कर 28294 कैम्प आयोजित किये और लगभग रू. 34.65 लाख बैंक खाते इस मुहिम में खोले गये।

दिनांक 05.09.2014 को आगरा में सम्पन्न बैठक में श्री मो. मुस्तफा, संयुक्त सचिव, वित मंत्रालय, वितीय सेवायें विभाग, भारत सरकार ने पी.एम.जे.डी.वाई. लागू करने की योजना की, प्रदेश के -20- प्रमुख बैंको के साथ समीक्षा की और उस योजना से जुड़े अन्य पहलूओं को लागू करने हेतु दिशा निर्देश दिये है।

हम प्रदेश सरकार को इस योजना को विभिन्न स्तर पर सफलतापूर्वक लागू करने के लिय धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यह संतोष का विषय है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में SLIC और DLICs का गठन कर लिया गया हैं। हम बैंको एवं एस.एल.बी.सी. को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि इन समितियों की पूरे प्रदेश में एक बैठक आयोजित करें जिसमें इस योजना को लागू करने के सम्बन्ध में विस्तृत रूपरेखा तय की जाये।

हमें दृढ विश्वास हैं कि वितीय समावेशन हमारे लिए व्यवसाय वृद्धि का एक अवसर है न कि कोई बन्धन। अतः समय की आवश्यकता यह है कि हम अपना पूरा ध्यान इस योजना के प्रथम चरण को 25.01.2015 से पूर्व पूर्ण करने पर लगायें।

वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2014-15 के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू. 114931.34 करोड़ के सापेक्ष प्रथम तिमाही में रू. 24349.08 करोड़ (21.19%) के स्तर की उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में नि: सन्देह उत्साहवर्धक है (समग्र एवं प्रतिशत रूप में)। इस सम्बन्ध में बैंक के प्रत्येक यूनिट का सहयोग सराहनीय हैं किंतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी क्षेत्र के बैंको की भूमिका इस हेतु शत प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ प्रयासहीन रही हैं।

हम यह बताना चाहेंगे कि एस.एल.बी.सी. ने लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित LBS MIS पद्धति के माध्यम से समेकित किया है (विभिन्न बैंको द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन डाटा) और सभी DCC/DLRC की आगामी बैठकों में इसी प्रारूप पर समीक्षा की जायेगी।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि के दौरान बैंको द्वारा लगभग 6.97 लाख KCC का नवीनीकरण हुआ हैं और दूसरे 2.22 लाख नये KCC जारी किये गये हैं ऐसी प्रगति प्रदर्शित हो रही हैं।

हम यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने हर पात्र किसानों को के.सी.सी. जारी करने के दिशा निर्देश दिये हैं और जिन -13- जिलों में यह कार्य पूरा कर लिया गया हैं उसी आधार पर अन्य जिले भी रूपे कार्ड जारी करने का कार्य भी पूरा कर लें।

प्रदेश सरकार द्वारा घोषित "कृषि बीमा योजना" एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) के अंतर्गत सभी ऋणी किसानों को लाया जाये – यह बैंको के हित के लिए आवश्यक है।

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ मुख्यतया समाज के गरीब तबके के लोगों को समाविष्ट करने हेतु लागू की जाती हैं। जिसमें सब्सिडी/ मार्जिन मनी/ Interest Subvention आदि के प्रावधान प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) नामक नयी योजना के बारें में हम यहाँ बताना चाहेंगे – जो प्रदेश के -22- जिलों के -22- खण्डों (Blocks) में त्वरित रूप से लागूं की गयी है। इस बारें में भी हमारा बैंको से अनुरोध है कि इस योजना के निर्देशों का पालन करते हुए दिए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि एस.एल.बी.सी. की एक उपसमिति बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में इस योजना की समीक्षा कर रही है और इस हेतु बैंक तथा नोडल एजेन्सी के एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है।

"राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)" के नाम तथा रूप में एक नयी योजना लागू की गयी है। भारत सरकार की इस योजना के दिशा निर्देश एवं लक्ष्य सभी बैंको को प्रेषित किये जा चुके हैं। पुन: प्रदेश की एक शिखर ऐजेंसी SUDA ने कुछ दिन पहले विभिन्न स्टेकहोल्डर्स की एक जागृत कार्यशाला आयोजित की थी। मुझे विश्वास है कि ये दोनो योजनाएँ ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के एक वृहत समूह को बैंकिग सुविधायें प्रदान करने में प्रभावशाली सिद्ध होंगी।

अन्य महत्वपूर्ण योजनाएँ यथा – पी.एम.ई.जी.पी., एम.एम.जी.वाई.,एस.सी.पी. और अन्य योजनाएँ जिनकी रचना इस रूप में की गयी थी कि वे समाज के विभिन्न वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उनको भी एक नयेरूप में बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत है।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण का प्रवाह खाता संख्या व धनराशि के रूप में क्रमशः 21.32% एवं 21.72% के स्तर पर सम्पूर्ण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम का हैं, जो निर्धारित मानक स्तर 15% से अधिक है। इसी प्रकार से प्रदेश के -21- चिन्हित जिलों मे इस समुदाय का ऋण- प्रवाह खाता सं. व धनराशि के रूप में सम्पूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का क्रमशः 28.55% और 20.92 % के स्तर पर हैं।

हम राज्य सरकार की सराहना करेंगे कि उन्होने जिला राजस्व विभाग को निर्देश दिया है कि वे अपनी मासिक वसूली बैठक में बैंक अधिकारियों को भी आमंत्रित करें जिससे सरफेशी एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत अग्रसारित आवेदन पत्र का समय से निस्तारण हो सकें।

मुझे विश्वास है कि सरफेशी एक्ट - 2002 में इस एक्ट को कड़ाई से लागू करने के नियमों में जो संशोधन हुए हैं उनसे बैंको द्वारा प्रस्तुत फाइलों को समय से निपटाने में सहयोग मिलेगा और प्रदेश में वसूली की स्थिति सुदृढ होगी। अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में उन्होंने बैंकर्स का आहवाहन किया कि वे वित मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तन्मयता से पालन करें जिससे हम अपने उद्देश्य में सफल हों।

श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस. प्रमुख सचिव (कृषि), उ. प्र. शासन ने बैठक को सम्बोधित करते हुये सभी बैंको द्वारा केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियांवयन हेतु समुचित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होने निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला –

- जनसंख्या की दृष्टि से उ.प्र. देश का पाँचवा वृहत प्रदेश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। जिसमे लगभग 200 करोड़ परिवार शामिल हैं। सकल आय की 20% आय कृषि आधारित है।
- बैंको द्वारा फसली ऋण प्रवाह के आँकड़ो की सराहना करते हुए उन्होनें इस बात पर जोर दिया कि बैंक फसली ऋण (क्राप लोन) में लम्बी अवधि एवं लघु अवधि के फसली ऋण पर ज्यादा ध्यान दें।
- प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के बैंको के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि वैसे तो उ.प्र. में बैंक किसान क्रेडिट कार्ड जारी तो कर रहे है परंतु पंजाब व हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों की तुलना में यह अनुपात कम है तथा इसमें व्यापक सुधार सम्भव हैं।
- प्रदेश में विपणन/ मार्केटिंग का भरपूर स्रोत हैं। सिंचाई का भी पूरा लाभ प्रदेश को मिलता हैं। इसके बावजूद हम कृषि से संतोषजनक उपलब्धि नही हासिल कर पा रहे हैं।
- नयी फसली बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कम्पनियो से आग्रह है कि वे फसल बीमा योजना के बारे में बैंको से तालमेल बिठाकर कार्य करें जिससे वास्तविक बीमा प्रीमियम प्राप्त हो सकें।
- भौगोलिक रूप से पिछड़े इलाके जैसे चित्रकूट, बुन्देलखण्ड व विन्ध्याचल जैसे क्षेत्रे में सुनियोजित रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि खरीफ मौसम में वहाँ बेहतर उपलब्धि की हासिल की जा सके।
- वेयर हाउसिंग फाइनेन्सिंग गोदाम, कोल्ड स्टोरेज आदि को ऋण प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों में सब्सिडी की अपार धनराशि पड़ी हुई है जिसका लाभ बैंको को नही मिल पा रहा हैं।

- वितीय समावेशन कार्यक्रम आज के परिपेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें बैंको के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी भी आवश्यक है।

अंत मे उन्होने उपस्थित बैंकर्स को धन्यवाद देते हुए प्रदेश में सभी के सामूहिक सहयोग की आकांक्षा की एवं सभी के सहयोग की सहभागिता अनिवार्य बताई।

श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सीपी एवं एम.एफ.), वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला –

- प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े सभी बैंक बधाई के पात्र हैं। इस योजना के प्रथम चरण में ही भारतवर्ष में लगभग 2 करोड़ से अधिक खाते खोलने के लिए सभी बैंको ने भरपूर प्रयत्न किया और सरकार के एक करोड़ के अनुमानित आँकड़े की तुलना मे 2 करोड से अधिक खाते खोलकर बैंको ने एक अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है।
- प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप 26 जनवरी 2015 तक इस कार्य को पूर्ण किया जाना हैं।
- जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि दिनांक 30.08.2014 तक उ.प्र. में लगभग 35 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
- खोले गये 2 करोड़ 32 लाख खातों मे अभी तक सिर्फ 10 से 15 % तक ही रूपे कार्ड जारी किये गये हैं। इस पर तीव्रता लाने की जरूरत है। दिनांक 25.09.2014 तक खोले गये सभी खातों में रूपे कार्ड जारी करना अत्यन्त ही आवश्यक है। बैंक इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
- दिनांक 30.09.2014 तक सभी नये बी.सी. की नियुक्ति करना भी सुनिश्चित करें।
- SSA के अंतर्गत हाउसहोल्ड सर्वे एक सुनियोजित रूप से करें एवं इसे एक मिशन के रूप में लें।
- बैंक इस बात को भी सुनिश्चित करें कि खुलने वाले सभी खाते आधार कार्ड से लिंक हो और सभी ग्राहकों से इसकी अनिवार्यता के बारें में विस्तृत चर्चा करें। क्योकि मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान उन्हीं खातों में होगा जो आधार कार्ड से लिंक होंगे।
- प्रत्येक शनिवार को प्रधानमंत्री जन धन योजना का एक वृहत कैम्प हर शाखा में लगना अनिवार्य है जिसके बैनर्स, पोस्टर बैंक की हर शाखा में उचित रूप से लगे होने चाहिए।
- इस योजना के हर खातेदार को वितीय साक्षरता से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। हर खातेदार अपने खाते के बारे में पूरी जानकारी इन साहित्य के माध्यम से भी प्राप्त कर सकता है।
- कृषि ऋण प्रवाह में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंको की तुलना में बेहतर कार्य कर रहे है। समग्र ऋण लक्ष्यों कासिर्फ 26.06% ऋण निजी बैंक एवं 15.31% ऋण ग्रामीण बैंक कर रहें हैं जो अनुमान से कम हैं। सेवा क्षेत्र के ऋण 20% ही हैं तथा शिक्षा ऋण केवल 9.18% ही है जिसे बढाना है।
- उन्होंने बैंको से आग्रह किया कि हर पात्र खाता धारक को किसान क्रेडिट कार्ड अवश्य जारी किया जायें।
- बैंक ऋणों की वसूली के बारें मे भी प्रमुख सचिव शासन को लिखा गया है जिससे बैंक ऋणों की वसूली के बारें में उचित दिशा निर्देश मिल सके और बैंक ऋणों की वसूली समय से हो सके।

अंत में श्री मनीष गुप्ता, निदेशक (सी.पी. एवं एम.एफ.), वित मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश सरकार एवं प्रदेश में कार्यरत सभी बैकर्स से लक्ष्यों एवं योजनाओं के शत प्रतिशत क्रियांवयन हेतु अनुरोध किया।

श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया –

- अपने प्रदेश में वितीय समावेशन की कार्य प्रणाली एवं इसकी उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश शासन बधाई के पात्र हैं। प्रदेश में वितीय समावेशन की स्थिति और भी बेहतर बनायी जा सकती है तथा इस अभियान की सफलता तभी हो सकती है जब हर पात्र व्यक्ति इसके दायरे में आ सके।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाते खुल रहे है और जितने खुल चुके है इनकी संख्या एवं स्थिति वास्तव में हर्ष का विषय है परंतु इस स्थिति से सही आंकलन के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे हमें यह पता चले कि कोई व्यक्ति अपने नाम से एक से अधिक खाते न खोल सके। इस हेतु एक सुदृढ़ मानीटरिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी।
- खुलने वाला हर खाता वास्तव में नया खाता हो और यह खाते No frill account के रूप में ही खोले जायें।
- ऐसे किसानों को भी बीमा के दायरें में लाया जाये जो कही से भी ऋण प्राप्त न किये हों। प्रदेश शासन से अनुरोध है कि ऐसी त्वरित प्रणाली विकसित करें ताकि बैंको को बैंक ऋणों की वसूली में तीव्रता आ सके।
- हमारे प्रदेश में अन्न भण्डारण के क्षय को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायें जायें। साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बिजली क्षय कम से कम हो ।

  प्रधानमंत्री जन धन योजना को एक मिशन के रूप में समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। जिसके अंतर्गत शाखा विस्तार एवं बी.सी. संरचना भी महत्तवपूर्ण है।
- भारत सरकार के बी.एस.एन.एल. विभाग से मिलकर बैंको की कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वितीय साक्षरता की अत्यन्त आवश्यकता हैं।

श्री के.के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की –

- प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं वितीय समावेशन आज की आवश्यकता है। यद्यपि सभी बैंक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं परंतु अभी भी को-ऑपरेटिव (सहकारी) बैंक इस योजना से नही जुड पा रहे है। इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे हम इन सहकारी बैंको को इस योजना से जोड़े।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना में खाते तो खोल रहे है परंतु रूपे कार्ड जारी नही कर रहे है। अतः इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रूपे कार्ड कैसे जारे करें।
- स्वयं सहायता समूहों के खातों पर लगने वाले प्रभार व स्टाम्प शुल्क में अन्य प्रदेशों की भांति ही कमी करने की जरूरत है।

- सभी 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि ऋण क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्शायें। ऐसी आवश्यकता है क्योंकि ग्रामीण बैंको का योगदान कृषि ऋण क्षेत्र में बहुत ही कम हैं।
- कृषि अग्रिम के क्षेत्र में आवधिक ऋण पर जोर देना चाहिए।
- प्रदेश शासन से अनुरोध है कि एक ऐसी वेबसाइट बनायें जिस पर पात्र व्यक्ति जो बड़ी परियोजनाएँ लगाना चाहते है- अपना आवेदन सीधे उस वेबसाइट पर भेज सकें। व्यक्ति अपनी परियोजना का पंजीकरण सीधे उस वेबसाइट पर करा सकें।
- प्रदेश शासन कृषि अग्रिम से सम्बन्धित सभी परिपत्र एवं सब्सिडी तथा अन्य योजनाओं के परिपत्र सीधे अपने वेबसाइट पर डाल दें जिससे सभी लाभांवित हो सकें।
- प्रदेश में बाढ एवं सूखे की स्थिति पर भी प्रशासन बैंको से मिल कर चर्चा करें एवं आवश्यक कदम उठाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से बतायें।
- प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात एक चिंता का विषय है तथा इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

अपने सम्बोधन के अंत में मुख्य महाप्रबन्धक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में विभिन्न विभागों एवं बैंक के उच्चाधिकारियों से उच्चतम स्तर की सहभागिता पर बल दिया ताकि विभिन्न मुद्दो पर नीतिगत निर्णयों हेतु तुरन्त कार्यवाही सम्भव हो सकें।

उपस्थित गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी ।

कार्यसूची संख्या – 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 06.06.2014 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

विगत बैठक दिनांक 06.06.2014 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 13.08.2014 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या – 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 06.06.2014 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. **प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर – सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन –**

सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल -65- जनपदों में नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -10- अन्य जनपदों में भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। सदन को यह भी अवगत कराया गया कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संयोजित आरसेटी की सब कमेटी की बैठक दिनांक 21.08.2014 को आयोजित की गयी है जिसमे इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न आरसेटी के निर्माण की **Stagewise** समीक्षा सब कमेटी द्वारा की जा रही हैं।

2. **राज्य के शेष सभी जनपदो मे आरसेटी की स्थापना**

पंजाब नैशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक से अनुरोध किया गया कि वे अपने अग्रणी जनपदों यथा बदायूँ, झाँसी तथा शामली एवं सम्भल तथा हापुड क्रमश:, में शीघ्र ही आरसेटी की स्थापना करें। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि इस विषय पर उनके द्वारा **MoRD** से कुछ स्पष्टीकरण माँगा गया था जो अभी अपेक्षित है। दोनो बैंको ने शीघ्र ही इन जनपदों में आरसेटी की स्थापना का आश्वासन दिया।

3. **प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना :**

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार 01.01.2013 से 31.07.2014 तक कुल -2307- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 26.08.2014 को विशेष सचिव एवं निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 की अध्यक्षता मे एक बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें ऐसे बैंक जिनकी लक्ष्य पूर्ति में वृहद अंतर है, को यह कार्य 31.12.2014 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। विभिन्न बैंकों के प्रमुखों के

साथ आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से प्रगति समीक्षा एवं भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गयी है।

4. <u>-2000- से कम आबादी वाले सभी -76855- गांवों में मार्च 2016 तक चरणबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लागू किया जाना</u>

सदन को अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा अपने बोर्ड अनुमोदित प्लान 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये हैं। सदन को अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुये बताया गया कि 2000 से कम आबादी वाले सभी गॉवों (-76855-) में 2016 तक बैंकिंग सेवाओ के विस्तार हेतु तैयार रोडमैप के अंतर्गत जून' 2014 त्रैमासांत तक सभी बैंको द्वारा मात्र -19608- गॉव को कवर किया गया है जो लक्ष्य के सापेक्ष अत्यंत ही सूक्ष्म है। भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय एवं भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश की शिथिल प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी है।

यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा हैं तथा माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा इसे **"प्रधानमंत्री जन- धन योजना"** के नाम से दिनांक 28.08.2014 को उदघोषित किया गया तथा इस योजना की प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक रूप से भारत सरकार द्वारा की जा रही हैं।

5. <u>बड़ौदा यू पी ग्रामीण बैंक को Recapitalization assistance प्रदान करना</u>

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0 प्र0 से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश सरकार ने बड़ौदा उ.प्र. ग्रामीण बैंक से संशोधित **MoU** की माँग की है ताकि इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

6. <u>वर्ष 2014-15 में PMEGP योजना का क्रियांवयन एवं लम्बित मार्जिन मनी दावो के निस्तारण से सम्बन्धित</u>

सदन को अवगत कराया गया कि एस. एल. बी. सी. द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये भारत सरकार द्वारा जनपदवार आवंटित लक्ष्यों को सभी सदस्यों को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है साथ ही नोडल विभाग द्वारा जारी किये गये 100 दिवसीय **Action Programme** भी प्रेषित किया जा चुका है। सभी बैंको से अनुरोध हैं कि वह इन दिशानिर्देशो का सतर्कता पूर्वक पालन करें। लम्बित मार्जिन मनी दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में सभी बैंको से अनुरोध दौहराया गया कि वह अविलम्ब इन सभी दावों का निस्तारण सुनिश्चित करें।